आधार

मॉड्यूल 1

यूआईडीएआई और आधार की मूलभूत जानकारी

यूआईडीएआई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

फरवरी 2015

प्रस्तावना

इस प्रशिक्षण मैनुअल में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और आधार का परिचय दिया गया है।

इस मॉड्यूल को सभी पाठकों के लिए यूआईडीएआई और आधार पर एक प्रभावी तरीके से जानकारी देने के लिए बनाया गया है। यह मैनुअल पहचान संबंधित मुद्दों की मुख्य संकल्पनाओं तथा सरकार की ओर से दिए गए आधार नाम के एक समाधान के साथ शुरू होता है। इस सामग्री का एक बड़ा हिस्सा यूआईडीएआई के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आस पास है। इस मैनुअल के अगले भाग में यूआईडीएआई परिवेश के बारे में बताया गया है। इस सामग्री के अंतिम भाग में सभी के लिए आधार के लाभ के बारे में बताया गया है। इस सामग्री में एक व्यक्ति की पहचान की विशिष्टता से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। इसमें संबंधित उदाहरण और वास्तविक जीवन के परिदृश्य दिए गए हैं।

लक्षित व्यक्ति

- नामांकन ऑपरेटर
- नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक
- पंजीयक के पर्यवेक्षक
- परिचायक
- तकनीकी सपोर्ट कर्मचारी
- कोई भी व्यक्ति जो आधार और यूआईडीएआई के बारे में जानना चाहता है।

निर्भर या संबंधित मॉड्यूल्स

इस हस्तपुस्तिका को पढ़ने के पहले यूआईडीएआई या आधार के बारे में किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह आधार के बारे में पहला प्रशिक्षण मॉड्यूल है और सभी प्रतिभागियों के लिए समान है। निम्नलिखित सभी मॉड्यूलों में माना गया है कि प्रतिभागी ने इस मॉड्यूल को पढ़ लिया है।

विषयसूची

उद्देश्य 1

आप विशिष्ट हैं 1

क्विज़ 3

यह सिद्ध करने के लाभ कि आपकी विशिष्ट पहचान है 3

अपनी पहचान सिद्ध करें 36

पहचान सत्यापन 4

सरकार की ओर से एक समाधान – आधार 7

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 8

यूआईडीएआई के लक्ष्य और मिशन 9

यूआईडीएआई परिवेश (इको) प्रणाली 12

क्विज़ 14

सभी के लिए आधार के लाभ 14

प्रसार – संचार और जागरूकता निर्माण 15

संक्षेपाक्षर / परिवर्णी 18

उद्देश्य

इस मॉड्यूल से आपको इनके बारे में जानने में सहायता मिलेगी :

- विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या / आधार क्या है
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लक्ष्य

आप विशिष्ट हैं

जब आपने जन्म लिया था तो आप भी उन हजारों बच्चों जैसे थे जो पूरे भारत में जन्म लेते हैं। कुछ माह बाद आपके माता पिता आपको नाम देते हैं। यह नाम आपको अन्य सभी से अलग पहचान देता है।

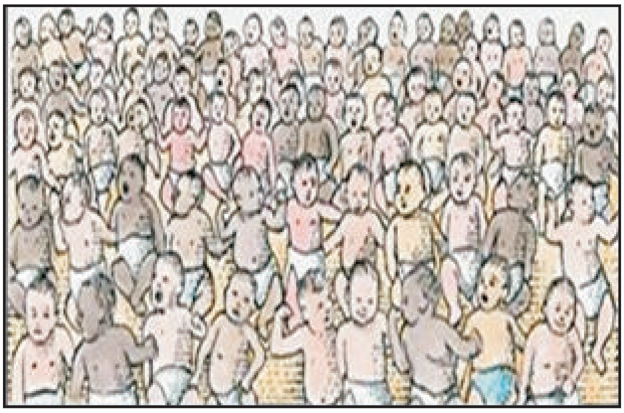

किंतु इतना ही काफी नहीं है। वे कौन सी अन्य बातें हैं जो आपको अन्य लोगों से अलग 'विशिष्ट' बनाती हैं, अर्थात आपको सबसे अलग कुछ खास बनाती हैं?

- नाम
- जन्म स्थान
- जन्मतिथि
- लिंग
- पिता / पति / मां / पत्नी / अभिभावक का नाम
- स्कूल / कॉलेज में जिनमें पढ़ाई की
- पता

उपरोक्त सभी जानकारियों का सत्यापन विभिन्न दस्तावेजों से किया जा सकता है जैसे :

- जन्म प्रमाणत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस आदि

किंतु इनमें से कोई भी पूर्ण रूप से सम्पूर्ण नहीं है। अनेक परिस्थितियों में यह कठिन बन जाता है।

- **आपके लिए अपनी पहचान** सिद्ध करना
- किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति के लिए आपकी **पहचान का सत्यापन** करना।

आज, प्रौद्योगिकी से हमें कुछ भौतिक विशेषताओं को दर्ज करने में सहायता मिलती है जो हम में से प्रत्येक को अन्य से अलग बनाती हैं। इन भौतिक विशेषताओं में शामिल हैं :

अंगुलियों के छापे

अंगुलियों के छापे – हमारी अंगुलियों के सिरे पर बनी रेखाएं विशिष्ट होती हैं और इनकी तस्वीर ली जा सकती है तथा इसे भावी संदर्भ के लिए जमा किया जा सकता है। यह हमारी कानूनी प्रणाली (न्यायालय) और वित्तीय संस्थानों (बैंकों) सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहचान के लिए एक स्वीकृत रूप है।

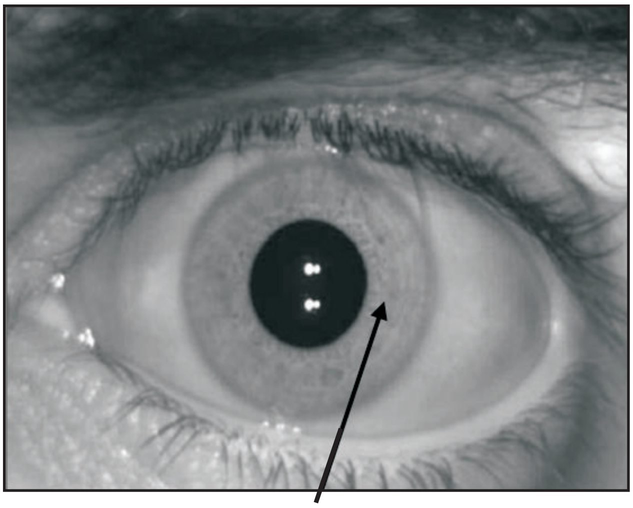

आइरिस

चेहरे की विशेषताएं – हमारे चेहरे की तस्वीर एक ऐसी विशेषता है जिसे हमें पहचानने के लिए सबसे सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की पहचान एक ऐसी विधि है जिससे चेहरे की कुछ विशेषताओं को एक तस्वीर या वीडियो फिल्म से व्यक्ति को पहचानने में इस्तेमाल किया जाता है। एक व्यक्ति के चेहरे के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है और इसे ठीक अंगुली के छाप के समान भंडारित किया जा सकता है।

आइरिस – आंख का एक ऐसा हिस्सा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की संरचना विशिष्ट होती है, ठीक अंगुलियों के छापे की तरह। आज यह संभव है कि व्यक्ति की आइरिस के विवरण दर्ज किए जाएं और इन्हें तस्वीर की तरह सुरक्षित रखा जाए।

इनमें से कुछ या सभी को एक व्यक्ति की पहचान सही तरीके से करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जन्म प्रमाणपत्र, राशन कार्ड आदि।

टिप्पणी : जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक सूचना

व्यक्ति से संबंधित सूचना, जो कार्यालय रिकॉर्डों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि और अन्य, इन्हें "जनसांख्यिकीय" सूचना कहा जाता है। यह राष्ट्रीयता, आयु, शिक्षा, धर्म, रोजगार की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी है। जनसांख्यिकीय सूचना आमतौर पर पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्कूल में प्रवेश आदि के लिए आवेदन पत्र भरते समय प्राप्त की जाती है।

बायोमेट्रिक सूचना हमारे शरीर और इसके अंगों से संबंधित है। आइरिस, अंगुली के छापे, चेहरा, आदि जैसी शारीरिक विशेषताओं से संबंधित सूचना को 'बायोमेट्रिक' सूचना कहा जाता है।

क्विज़

1. ''विशिष्ट'' का क्या अर्थ है?
2. आइरिस आपके शरीर के किस भाग में होती है ?
3. ''जनसांख्यिकी /डेमोग्राफिक'' शब्द का क्या अर्थ है?
4. ''बायोमेट्रिक'' शब्द का क्या अर्थ है?

यह सिद्ध करने के लाभ कि आपकी विशिष्ट पहचान है

यदि हम सब एक जैसे दिखाई देते और हमारे एक जैसे नाम होते तो आपके ख्याल से क्या होता?

ओह! तो यदि आप अपनी पहचान सिद्ध कर सकते हैं तो आपको क्या **लाभ** मिल सकता है?

- आप एक ऐसा बैंक खाता रख सकते है जिसे कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि आपके बैंक खाते में से आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति धनराशि निकाल नहीं सकता।
- आपको एक फोन कनेक्शन, लैण्ड लाइन या मोबाइल मिल सकता है
- आप एक घर, या दुकान या व्यापार शुरू कर सकते हैं और इन्हें आपसे कोई नहीं ले सकता।
- यदि आप उपेक्षित और वंचित हैं, तो सरकार सब्सिडी पर खाने पीने का समान और अन्य सुविधाएं पाने में आपकी सहायता कर सकती है, आपको जिनकी पात्रता है।

क्या आपको अपनी विशिष्ट पहचान सिद्ध करने में सक्षम होने से अन्य कोई लाभ मिल सकते हैं?

अपनी पहचान सिद्ध करें

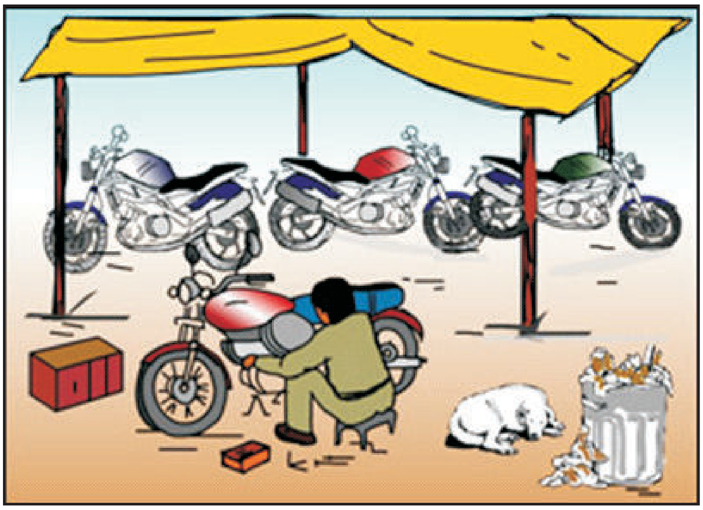

प्रकरण 1 : सुनील कुमार, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, जो एक अन्य राज्य से आए हैं और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना बचत खाता खोलना चाहते हैं। बैंक उनसे खाता खोलने के फॉर्म के साथ अपनी पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करने के लिए कहता है। सुनील कुमार के पास पहचान का कोई प्रमाण नहीं है और अंततः बैंक उनका खाता खोलने से मना कर देता है। अब सुनील कुमार को अपनी कमाई के पैसे सुरक्षित रखने हैं जो वह स्वयं कमा रहा है या उसके घर में रखे हैं। उसे हमेशा यह डर बना हुआ है कि इन्हें कोई चुरा न ले। बैंक में खाता नहीं होने के कारण उसे विभन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण भी नहीं मिल पा रहा है जिनकी पात्रता उसे है। इसके बजाय, उसे सड़क के किनारे एक अस्थायी दुकान में मोटर साइकिल की मरम्मत का काम शुरू करना पड़ा।

प्रकरण 2 : ए. आर. विजय और विजय आर., राज्य सरकार की झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत बनाए जाने वाले एक छोटे से कस्बे में रहते है। दोनों की मकान पाने की पात्रता है। एआर विजय के पास इस योजना के तहत अपनी पात्रता सिद्ध करने के जरूरी दस्तावेज हैं। दुर्भाग्य से विजय आर के पास अपनी पहचान सिद्ध करने के सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। अब विजय आर के पास कोई घर नहीं है और वे अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर है क्योंकि उनका छोटा सा घर अब पात्र निवासियों या पूरा भुगतान करने वाले व्यक्तियों की आवासीय योजना में बदले जाने की स्थिति में है।

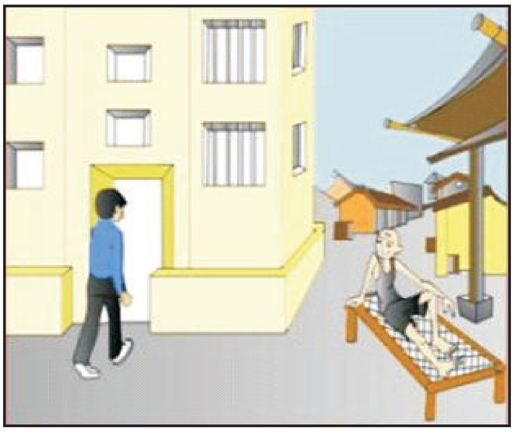

प्रकरण 3 : नीता 66 वर्षीय महिला है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आती है। बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में, ऐसे वंचित लोगों को राशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि दी जाती है। परंतु नीता किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकती क्योंकि उसके पास अपनी पहचान सिद्ध करने का कोई दस्तावेज नहीं है।

यदि आप इन तीन मामलों पर विचार करें तो आप पाते हैं कि ये तीनों मामले एक सामान्य समस्या दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें अपनी उचित पहचान का प्रमाण नहीं है और न ही उनकी पहचान का कोई उचित अभिप्रमाणन है और इसलिए वे अपनी विशिष्टता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान सिद्ध करने से बैंक खाता खोलने, एक घर या राशन लेने की सुविधा प्राप्त करना पर्याप्त नहीं हैं। बल्कि सरकार के लिए इन उपेक्षित और वंचित व्यक्तियों तक पहुंचना संभव बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि इनमें से प्रत्येक के पास अपनी एक पहचान और उसका प्रमाण होना चाहिए।

पहचान सत्यापन

दस्तावेज होने से एक व्यक्ति अपनी पहचान सिद्ध कर सकता है, किंतु इन दस्तावेजों के सत्यापन की सेवाएं प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन कैसे कार्य करता है कि ये दस्तावेज वास्तव में उस व्यक्ति के हैं जिनके पास ये मौजूद हैं।

दस्तावेजों का सत्यापन बड़े पैमाने और नियमित आधार पर पहचान सिद्ध करने का व्यावहारिक तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए, बैंक के उपभोक्ता या एक बड़े संगठन के कर्मचारी।

इसकी पुष्टि करने का एक तरीका यह है कि एक व्यक्ति की तस्वीर के साथ उसका एक पहचान पत्र जारी किया जाए।

बैंक और बीमा कंपनियों जैसे अनेक संस्थान पहचान सिद्ध करने के लिए हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सभी व्यक्तियों द्वारा बैंक खाता खोलने के समय या एक बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करते समय उनके नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाते हैं।

वर्तमान स्थिति में राशन / पीडीएस फोटो कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, किसान फोटो पासबुक आदि जैसे दस्तावेजों का उपयोग आरंभ में, एक व्यक्ति की पहचान के सत्यापन के लिए हो सकता है। दैनिक प्रचालनों के लिए व्यक्ति के पास पहचान करने योग्य हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान या कोई फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है।

परंतु इससे उन लोगों की समस्या नहीं सुलझती है जिनके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं हैं।

तो इसका क्या समाधान है?

टिप्पणी : निवासी

भारत का निवासी वह है जो वर्तमान में भारत में रहता है।

बायोमेट्रिक पुष्टीकरण

क्रेडिट कार्ड जारी करने या ऋण प्रदान करने जैसी सेवाओं के लिए निवासी की पहचान का प्रमाण होना चाहिए। यह प्रक्रिया निवासियों द्वारा उनकी तस्वीरें और अपनी पहचान सिद्ध करने के अन्य दस्तावेजों की सहायता से पूरी की जाती है।

सरकारी रिकॉर्ड में डुप्लीकेट नाम और ऐसे लोगों के नाम हो सकते हैं जो मौजूद नहीं हैं (इन नामों को फर्जी नाम कहते हैं)।

प्रकरण 1 : मानव ने रोहित का राशन कार्ड और चैक बुक चुरा ली (इसे पहचान की चोरी कहते हैं) और रोहित की तरह रहने लगा (इसे छद्मवेश बनाना कहते हैं)। मानव चुराए गए राशन कार्ड को अपने पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए किस्तों के आधार पर एक टेलीविजन खरीद लाया। जब चैक का भुगतान बैंक द्वारा अस्वीकार किया गया तब टेलीविजन विक्रेता अपनी बकाया राशि लेने के लिए बताए गए पते पर पहुंचा। रोहित को दुकानदार को यह समझाने में बहुत कठिनाई हुई कि यह खरीदारी उसने नहीं की है।

प्रकरण 2 : आप एक ही छत के नीचे रहने वाले दो एक समान जुड़वा भाइयों की पहचान किस प्रकार करेंगे?

जैसा कि आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के विशिष्ट होने के सत्यापन की प्रक्रिया सरल नहीं है। कोई एक पैरामीटर एक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान नहीं बता सकता। अतः हम देखते हैं **कि पहचान करने के अनेक स्तर हैं, जिनके लिए आपको सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाओं के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। अपने आप को कई तरीकों से सत्यापित कराने का अर्थ है ढेर सारा पैसा खर्च करना, समय लगाना और प्रयास करना।**

बायोमेट्रिक सत्यापन एक व्यक्ति की पहचान के सत्यापन का बेहतरीन समाधान है।

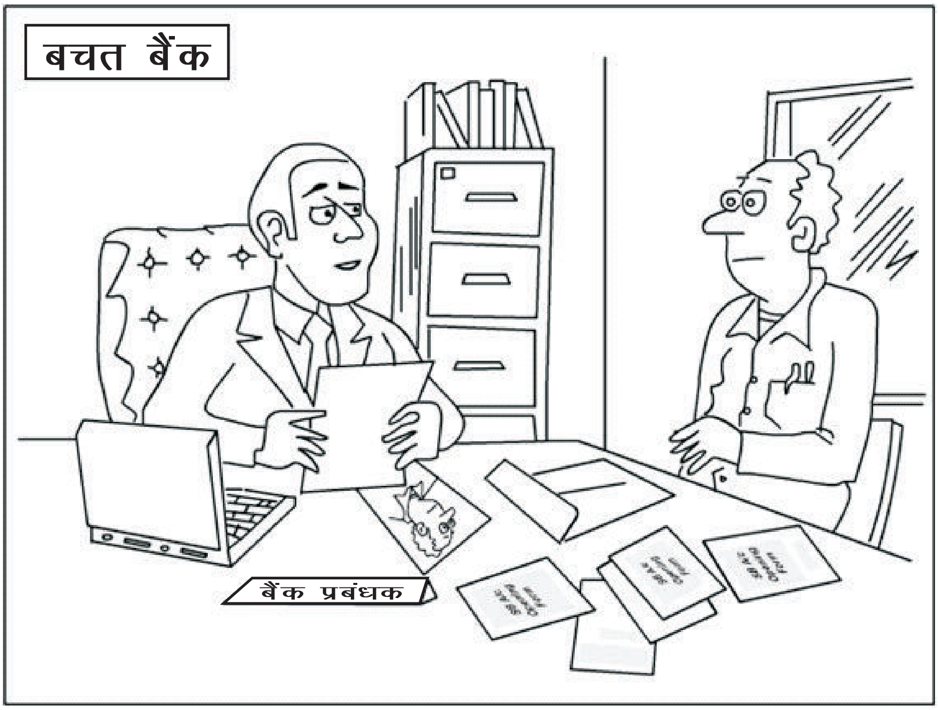

पहचान दस्तावेज़ों के आधार पर बैंक खाता खोलना

सरकार की ओर से एक समाधान - आधार

भारत सरकार इस विचार पर सहमत है कि भारत के निवासियों की पहचान का एक विशिष्ट रूप होना चाहिए। यह उस विशिष्ट संख्या द्वारा एक व्यक्ति की पहचान का आधार है जो उस व्यक्ति की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक संबंधी सूचना से जुड़ता है। इस विशिष्ट संख्या की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी :

- यह भारत के प्रत्येक निवासी के लिए यादृच्छिक रूप से तैयार 12 अंकों की संख्या है। उदाहरण के लिए 2653 8564 4663। इस संख्या को यूआईडी संख्या या आधार नम्बर कहते हैं।
- यह संख्या विशिष्ट होगी, जिसका अर्थ है दो निवासियों की आधार संख्या एक समान नहीं होगी।
- किसी भी निवासी की दो आधार संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यह ना केवल नाम, पता, आयु जैसी मानक जानकारी पर आधारित है, बल्कि इसमें बायोमेट्रिक जानकारी भी है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है।
- धोखाधड़ी से बचने के लिए आधार संख्या में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं होगी जो इसके वैल्यू या बनावट में शामिल हों। यह एक 'यादृच्छिक' संख्या होगी जैसे लॉटरी के ड्रॉ का नतीजा या एक सिक्का उछालना।
- आधार का उपयोग नागरिकता को नहीं बल्कि पहचान सिद्ध करने में होगा।
- भारत के प्रत्येक निवासी के लिए आधार संख्या लेना अनिवार्य नहीं होगा। यह स्वैच्छिक होगा तथापि, भविष्य में कुछ सेवा प्रदाता (सरकारी या निजी एजेंसियां) इसे अनिवार्य बना सकते हैं कि सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास आधार होना जरूरी है।

उदाहरण के लिए भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) विभाग व्यक्ति की आधार संख्या के अनुसार उसे राशन कार्ड जारी कर सकता है और यह संख्या उसके राशन कार्ड पर होगी।

टिप्पणी : आधार क्या है?

शब्द आधार का अधिकांश भारतीय भाषाओं में अर्थ है 'नींव'। आधार शब्द को विशिष्ट पहचान संख्या दर्शाने के लिए चुना गया है, जो 12 अंकों की एक संख्या है जो भारत के निवासियों की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक संबंधी जानकारी पाने और उसके सत्यापन के बाद उन्हें पहचान प्रदान करेगी।

टिप्पणी : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

पीडीएस द्वारा नियमित आधार पर या आवर्ती आधार पर एक नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को अनिवार्य राशन प्रदान किए जाते हैं जिसे हम राशन की दुकान या उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। यहां गेहूं, चावल, चीनी, कैरोसीन आदि मिलते हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 28 जनवरी 2009 को योजना आयोग के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों के समूह के साथ योजना आयोग के तहत अधिसूचित किया गया था।

यूआईडीएआई एक केंद्रीय पहचान डेटा संग्रहालय (सीआईडीआर) का प्रबंधन करने वाला विनियामक प्राधिकरण होगा जो आधार संख्या जारी करेगा, निवासी सूचना अद्यतन करेगा और आवश्यक होने पर निवासियों की पहचान अभिप्रमाणित करेगा।

यूआईडीएआई सुनिश्चित करेगा कि उचित कानून, प्रौद्योगिकियों और मूल संरचना का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाए कि भारत के प्रत्येक निवासी का आधार के तहत नामांकन किया जा सके।

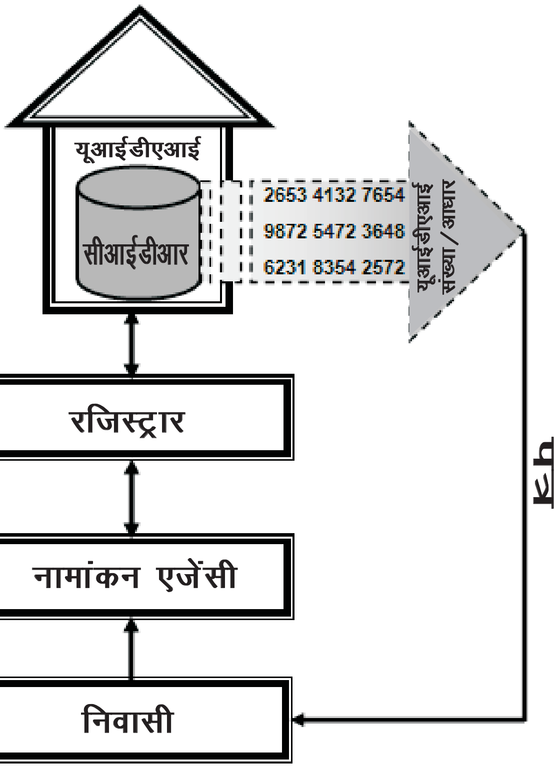

यूआईडीएआई के लक्ष्य और मिशन

यूआईडीएआई के लक्ष्य और मिशन है :

- यूआईडीएआई द्वारा भारत के निवासियों को आधार संख्या प्रदान की जाएगी
    - जो आसानी से, जल्दी और लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित की जा सके।
    - डुप्लीकेट और झूठी पहचान समाप्त की जा सके।
- यूआईडीएआई देश के सभी निवासियों को शामिल करने का आशय रखता है, परन्तु देश के गरीब वर्ग को नामांकित करने पर केन्द्रित रहेगा। आम तौर पर निर्धन वर्गों के पास अपनी पहचान सिद्ध करने के दस्तावेज नहीं होते है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति को बिना कठिनाई या बिना परेशानी प्रदान की जाएगी।
- भारत सरकार लंबे समय से निवासियों के बारे में जनसंख्या आंकड़े जमा करती रही है।

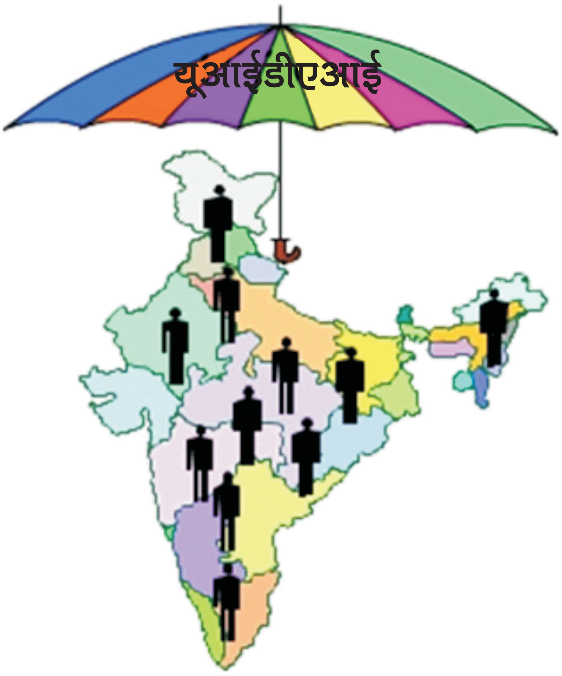

भारत के सभी निवासियों को कवर करना

जबकि भारत में मौजूदा पहचान डेटाबेस, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आयकर, पेंशन योजना आदि से फर्जी प्रविष्टियों और डुप्लीकेट की समस्याएं बनी हुई हैं।

उदाहरण के लिए, के.एस.के. दुर्गा नामक 45 वर्षीय महिला की मौत कुछ साल पहले हो चुकी है। के दुर्गा नामक एक अन्य 43 वर्षीय महिला ने स्वर्गीय के. एस. के. दुर्गा की पहचान ले ली और वे सभी लाभ प्राप्त किए जिनकी पात्रता उन्हें नहीं थी। आधार से ऐसी धोखाधड़ी की रोकथाम हो सकती है।

यूआईडीएआई डेटा बेस में ऐसी गलतियों की रोकथाम के लिए यूआईडीएआई की योजना निवासियों का नामांकन अपने डेटाबेस में उनकी डेमोग्राफिक तथा बायोमेट्रिक संबंधी सूचना के उचित सत्यापन के साथ करने की है। इससे सुनिश्चित होगा कि प्राप्त किए गए सभी आंकड़े कार्यक्रम की शुरूआत से सही हैं। अब यदि व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए उसके सत्यापन हेतु बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन इस्तेमाल किया जाता है तो यह समस्या सुलझ जाएगी।

टिप्पणी : डेटाबेस

डेटाबेस संबंधित जानकारियों का संग्रह है। उदाहरण के लिए, शब्दकोश एक डेटाबेस है। एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी डेटा बेस का उदाहरण है। एक डेटाबेस को कंप्यूटर के अंदर रखा जा सकता है, ताकि इसे आसानी से और जल्दी देखा जा सके।

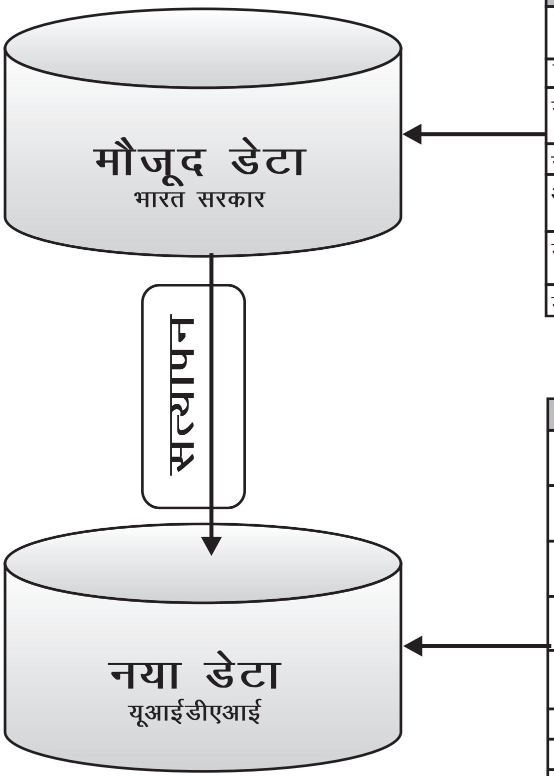

नाम	पता	उम्र
ए राय	34 एमजी रोड़, मुम्बई–54	56
राय ए	एसजी मार्ग, बंगलौर–20	43
मुरूली के	11 बी, पाटिल कालोनी, कोलकाता–71	24
समीर जी	मीरा बाज़ार, दिल्ली–1	33
आर प्रसाद	43 नेताजी नगर, चैन्नई–23	26
डेवीड एम	11, पैलेस रोड़, मुम्बई–1	76
डेवीड एम	पैलेस रोड़, मुम्बई–1	71

आधार	नाम	पता	उम्र	-------
2341 4564 3244	ए राय	34 एमजी रोड, मुम्बई–54	56	-------
1224 6574 2517	पी सैन	43, जीटी रोड, गोवा–32	34	-------
5423 4526 1232	मुरूली के	11बी, पाटिल कालोनी, कोलकाता–71	24	-------
5432 4524 6787	समीर जी	मीरा बाज़ार, दिल्ली–1	33	-------
3456 1324 6754	डेविड एम	11, पैलेस रोड, मुम्बई–1	76	-------

बायोमेट्रिक पर आधारित डी डुप्लीकेशन के बाद, फाईनल डेटा में एक अतिरिक्त आधार कॉलम होता है।

डी डुप्लीकेशन : अमित बी ने मुंबई में आधार के लिए आवेदन किया और इसे प्राप्त किया। कुछ वर्ष बाद वे मुंबई से कोलकाता गए और उन्होंने दोबारा आधार के लिए आवेदन किया। इस बार उन्होंने अपना अमित भानोट बताया। डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक संबंधी आंकड़े मिलने पर सीआईडीआर में डुप्लीकेट की खोज की गई। चूंकि अमित की जानकारी सीआईडीआर में पहले से उपलब्ध है, अतः उनका नया आधार नंबर नहीं बनाया जाएगा और अनुरोध अस्वीकार किया जाएगा। यह इस लिए संभव है कि अमित अपना नकली जन्म तिथि प्रमाण पत्र तो बनवा सकते हैं और कई नाम रख सकते हैं, किंतु अपनी बायोमेट्रिक जानकारी, अर्थात अपनी अंगुलियों के छापे और आइरिस नहीं बदल सकते। अतः यदि कोई व्यक्ति गलत नाम से नामांकन कराता है तो वह अपना नाम तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह कानूनी प्रक्रिया के जरिए इसे नहीं करे।

- यूआईडीएआई अभिप्रमाणन का एक सशक्त रूप प्रदान करता है (इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीफोन के माध्यम से) जिसमें एजेंसियां केंद्रीय डेटाबेस (सीआईडीआर) में दर्ज रिकॉर्ड के साथ निवासी की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक संबंधी जानकारी की तुलना कर सकते है। यह केंद्रीय डेटाबेस कंप्यूटर पर होगा, जिसे बैंकों के समान सभी सरकारी और निजी एजेंसियों के साथ जोड़ा जाएगा।

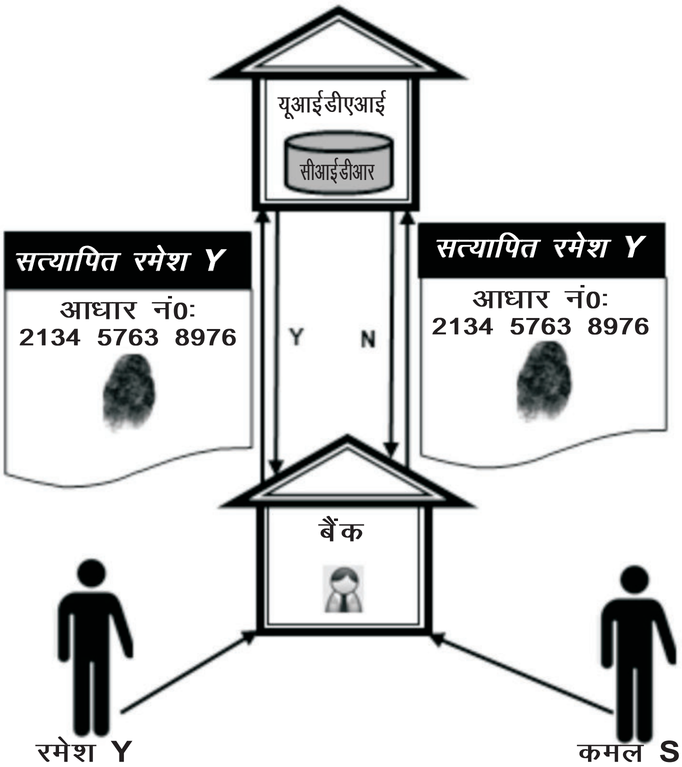

सत्यापन की प्रक्रिया

उदाहरण के लिए, एक बैंक खाता खोलते समय बैंक आधार संख्या पूछ सकता है और आवेदक की बायोमेट्रिक जानकारी ले सकता है तथा ली गई जानकारी यूआईडीएआई के पास सत्यापन के लिए भेज सकता है। बैंक द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर यूआईडीएआई अपने सीआईडीआर के रिकॉर्ड की जांच करेगा और यह विवरण मिलने पर यूआईडीएआई **हां** (अभिप्रमाणित) या **नहीं** (अभिप्रमाणित नहीं) के रूप में उत्तर देता है।

दी गई तस्वीर में रमेश वाय और कमल एस दोनों व्यक्ति बैंक खाता खोलना चाहते हैं और वे दोनों अपनी पहचान के तौर पर आधार संख्या देते हैं। यूआईडीएआई से इस संख्या के अभिप्रमाणन के बाद यह पाया गया है कि कमल एस ने रमेश वाय की आधार संख्या भेजी है और इसे अपनाने का प्रयास किया है। अतः कमल का अनुरोध बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

- यूआईडीएआई मूल संरचना में प्रौद्योगिकी की एक प्रमुख भूमिका होगी। निवासी के डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक आंकड़ों सहित आधार डेटाबेस केंद्रीय कंप्यूटर पर भण्डारित किए जाएंगे। निवासी का नामांकन कंप्यूटर में रखा जाएगा और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से नामांकन केंद्र और सीआईडीआर के बीच जानकारी का आदान प्रदान होगा। सेवा प्रदाता द्वारा निवासी की पहचान का सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकता है। यूआईडीएआई जानकारी की सुरक्षा और बचाव की प्रणाली भी बनाएगा, ताकि कोई अन्य व्यक्ति जानकारी को अनधिकृत रूप से देख नहीं सके।

यूआईडीएआई परिवेश (इको) प्रणाली

'सभी जीवित और अजीवित वस्तुओं को लेकर बनाया गया एक परिवेश तंत्र जो एक विशेष क्षेत्र या हिस्से में रहते हैं और आपस में मेलजोल करते हैं।'

यूआईडीएआई परिवेश तंत्र का एक चित्रात्मक निरूपण निम्नानुसार है :

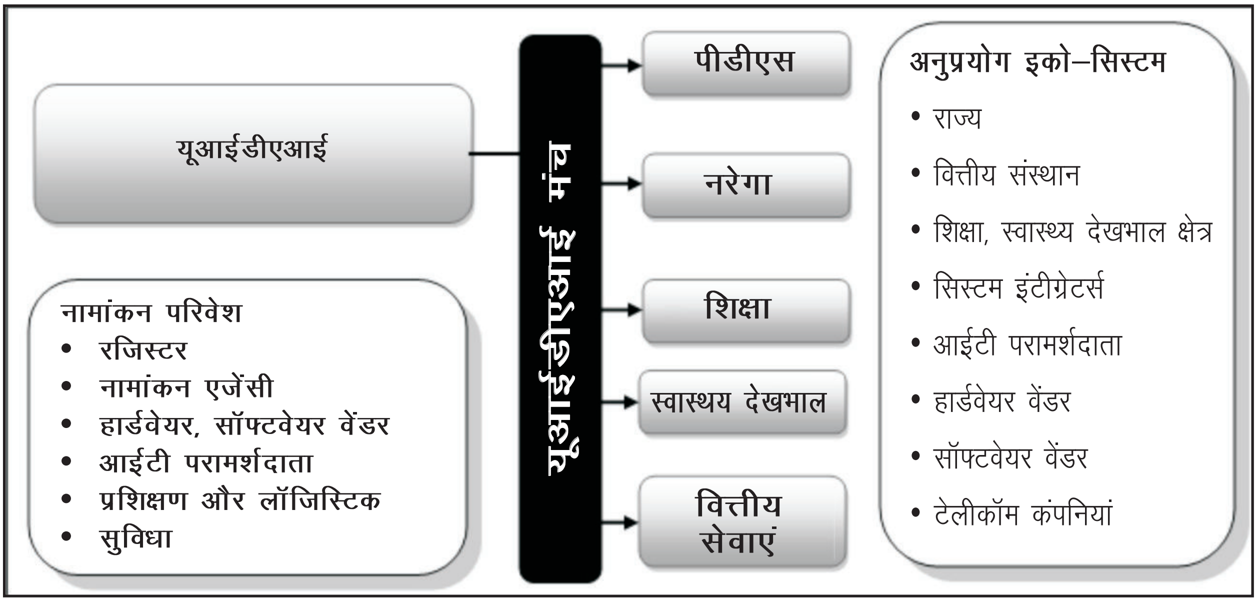

यूआईडी परिवेश – प्रणाली

यूआईडीएआई इको–प्रणाली के परिवेश में विभिन्न प्रतिभागी और उनके आपसी मेलजोल शामिल हैं। इको–प्रणाली के मुख्य प्रतिभागी हैं :

- **यूआईडीएआई** : एक ऐसा संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। यूआईडीएआई द्वारा यूआईडी प्रणाली में नामांकन के लिए अपनाई जाने वाली नामांकन तथा सत्यापन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- **परिचायक** : पंजीयक द्वारा अधिसूचित यह व्यक्ति उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास अपनी पहचान और पते के साथ संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं है। परिचायक केवल व्यक्तियों की पहचान और पते की पुष्टि करेगा, जिन्हें परिचायक जानता हो। परिचायक की आधार संख्या तथा बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हुए इसकी पुनः पुष्टि की जाएगी। चूंकि परिचायक को पहले अपना नाम नामांकित कराना है और उसके बाद ही उसे आधार संख्या दी जाएगी।
- **रजिस्ट्रार** : रजिस्ट्रार सरकारी और निजी क्षेत्र की एजेंसियां हो सकती है, जिन्हें भारत के निवासियों के नामांकन के प्रयोजन हेतु यूआईडीएआई द्वारा मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां जैसे एलआईसी, एलपीजी विपणन कंपनियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, (आरएसबीवाय), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) आदि।

- **नामांकन एजेंसी :** इस एजेंसी की नियुक्ति निवासियों के नामांकन के लिए पंजीयक द्वारा की जाती है। ये पंजीयकों की ओर से कार्य करेंगे और ये पंजीयक के प्रति जवाबदेह होंगे।
- **नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक :** ये नामांकन केन्द्र की व्यवस्था और प्रबंधन करेंगे तथा जहां उठने वाली समस्याओं को संभालेंगे।
- **नामांकन एजेंसी ऑपरेटर्स :** ये निवासियों के जनसांख्यिकी विवरण और बायोमेट्रिक्स डेटा को प्राप्त करेंगे। इसके प्रचालक सीधे निवासियों से संपर्क करेंगे।
- **वाहक :** नामांकन एजेंसी कोरियर या डाक सेवाओं के साथ गठबंधन करेंगी, जिन्हें 'वाहक' के नाम से जाना जाएगा और ये नामांकन एजेंसी तथा सीआईडीआर के बीच डिलीवरी एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी।
- **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विक्रेता :** हार्डवेयर विक्रेता लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन आदि जैसे हार्डवेयर प्रदान करेंगे। सॉफ्टवेयर विक्रेता ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज़ एक्सपी, विस्ता, विंडोज़ 7), एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि जैसे सॉफ्टवेयर प्रदान करेंगे।
- **प्रशिक्षण एजेंसी :** ये एजेंसियां संबंधित व्यक्तियों जैसे नामांकन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, तकनीकी समर्थन कर्मचारी आदि जैसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
- **परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी :** ये एजेंसियां आधार नामांकन प्रणाली के अंदर (उदाहरण के लिए एक नामांकन ऑपरेटर) नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों का आकलन करती है। इससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि नामांकन प्रक्रिया का कार्य केवल प्रशिक्षित और दक्ष व्यक्ति करें।
- **संपर्क केन्द्र :** ये यूआईडीएआई एप्लीकेशंस से संबंधित समस्याओं को सुलझाते हैं। व्यक्ति, समस्या का प्रकार बताकर हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से संपर्क कर सकता है।
- **पोर्टल रखरखाव एजेंसी :** ये एजेंसी यूआईडीएआई वेबसाइट (http://www.uidai.gov.in) का रखरखाव करेंगी।
- **अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसियां :** यह एक ऐसा संगठन होता है जो ग्राहक / लाभार्थी की पहचान का अधिप्रमाणन करता है और उसे सेवाओं तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बैंक – अपने ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करना और उनके बचत खाते में पहुंच की अनुमति प्रदान करना, नरेगा – नामांकित कामगारों की पहचान का सत्यापन करना और उनके पारिश्रमिक खाते आदि में पहुंच की अनुमति प्रदान करना।

टिप्पणी : उपयोगी पद

यहां कुछ ऐसे टर्मस बताए गए हैं जो यूआईडी की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको जानना चाहिए :

- **आधार :** आधार एक 12 अंकों की संख्या है जो पहचान और भारत में निवास के एक प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा जारी की जाती है।
- **केन्द्रीय आईडी डेटा संग्रहालय (सीआईडीआर) :** इस संग्रहालय का विनियमन और प्रबंधन यूआईडीएआई द्वारा किया जाता है। यह निवासियों की आवश्यकतानुसार उनकी सूचना का अद्यतनकर्ता है और अभिप्रमाणन के बाद आधार संख्या जारी करता है।
- **नामांकन :** यह निवासियों के डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया है (डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा सहित)। यह नामांकन यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त एक पंजीयक के माध्यम से किया जाता है। पंजीयक एक नामांकन एजेंसी के माध्यम से नामांकनों को दर्ज कर सकता है।
- **नामांकन केन्द्र :** यह एक ऐसा स्थान है जहां नामांकन किया जाता है। प्रत्येक नामांकन केन्द्र को नामांकन संभव बनाने के लिए नामांकन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक नामांकन केन्द्र में कई नामांकन स्टेशन हो सकते हैं।
- **नामांकन स्टेशन :** यह ऐसी प्रणाली है जहां निवासी के डेमोग्राफिक संबंधी और बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त किए जाते हैं। स्थापित की गई नामांकन केन्द्र की व्यवस्था में एक कम्प्यूटर, बायोमेट्रिक उपकरण और कुछ अन्य उपकरण जैसे प्रिंटर होते हैं।

क्विज़्

1. यूआईडीएआई इको प्रणाली में "परिचायक" शब्द का क्या अर्थ है?
2. यूआईडीएआई रजिस्ट्रार क्या करता है?
3. नामांकन क्या है?
4. एक नामांकन एजेंसी सुपरवाइजर के क्या कार्य है?

सभी के लिए आधार के लाभ

निवासियों के संबंध में रजिस्ट्रार, नामांकन कर्ता और भारत सरकार निम्नानुसार लाभ प्रदान करते हैं :

- **निवासी** : यूआईडी पहचान सत्यापन का एकल स्रोत होगा। एक बार निवासियों का नामांकन होने के बाद वे इस संख्या का अनेक बार उपयोग कर सकते हैं – उन्हें बार बार अपनी पहचान के समर्थन में दस्तावेज प्रदान करने की झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी और वे अपनी मनचाही सेवाओं तक पहुंच बना सकेंगे जैसे बैंक में खाता खोलना, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करना।

  बड़ी संख्या में ऐसे निवासी है, जिनकी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं है, अतः वे लाभार्थियों की सूची से 'निकाल दिए गए' हैं, ऐसे व्यक्ति 'परिचायक' प्रणाली के माध्यम से अपनी 'पहचान' प्राप्त कर सकते हैं। आधार संख्या (या यूआईडी) इस प्रकार 'सभी के लिए दरवाजे खोलने की चाबी बन जाता है', खास तौर पर गरीबों के लिए।

- **रजिस्ट्रार और नामांकनकर्ता** : यूआईडीएआई केवल अपने रिकॉर्ड में डी–डुप्लीकेशन की जांच करने के बाद ही निवासियों का नामांकन करेगा। इससे रजिस्ट्रारों को अपने डेटाबेस में से दोहरे नामों को हटाने तथा महत्वपूर्ण दक्षता और लागत में बचत करने में सहायता मिलेगी। लागत पर केन्द्रित रजिस्ट्रारों के लिए यूआईडीएआई की सत्यापन प्रक्रियाएं केवायआर की कम लागत सुनिश्चित करेंगी। सामाजिक लक्ष्यों पर केन्द्रित रजिस्ट्रारों के लिए एक भरोसेमंद पहचान संख्या होने पर उन्हें अपने समूहों में व्यापक पहुंच प्रदान की जा सकेगी, जो अब तक प्रमाणित करना कठिन था। आधार संख्या से मिलने वाले सशक्त प्रमाणन द्वारा सेवाओं में सुधार होगा जिससे निवासियों को बेहतर रूप से संतुष्टि प्रदान की जा सकेगी।

- **सरकार** : विभिन्न योजनाओं के तहत डुप्लीकेशन समाप्त करने से सरकारी राजकोष में धन की पर्याप्त बचत होगी। इससे सरकार को निवासियों के शुद्ध आंकड़े भी मिल सकेंगे ताकि प्रत्यक्ष लाभ के कार्यक्रमों को सक्षम बनाया जा सकें और सरकारी विभाग निवेशों का समन्वय तथा सूचना का आदान प्रदान कर सकें।

प्रसार - संचार और जागरूकता निर्माण

आधार से भारत के प्रत्येक निवासी को लाभ मिलेगा। यह संदेश भारत के हर कोने तक भेजा जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक निवासी आधार और इसके लाभों के बारे में जान सके। आधार के बारे में व्यापक पैमाने पर संचार के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

- **पूर्ण कवरेज :** भारत के प्रत्येक निवासी तक संचार पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- **आधार को समझना :** सुनिश्चित किया जाए कि सभी निवासी समझते हैं कि आधार क्या है, इससे लोगों को क्या लाभ मिल सकते हैं और आगे चलकर इसका क्या उपयोग होगा।
- **आधार प्रक्रिया को समझना :** सुनिश्चित किया जाए कि निवासी आधार नामांकन प्रक्रिया को समझते हैं। उन्हें पता है कि वे अपनी आधार संख्या कैसे और कब प्राप्त कर सकते हैं और वे शिकायत निपटान प्रक्रिया से भी परिचित है।
- **एक समान समझ :** सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त समझ सभी निवासियों के बीच एक समान और उचित है।
- **लोगों को नामांकन के लिए प्रेरणा देना :** आधार संख्या से लोगों को इसमें भाग लेने की प्रेरणा दी जाए।
- **परिचायकों का नामांकन और प्रेरणा :** परिचायक समावेश के अनिवार्य समर्थनकर्ता हैं और उन्हें तदनुसार जागरूक बनाने एवं प्रक्रिया में नामांकित करने की आवश्यकता होगी।

आधार संचार प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए हैं।
इन चरणों पर स्थानीय प्रयास महत्वपूर्ण हैं

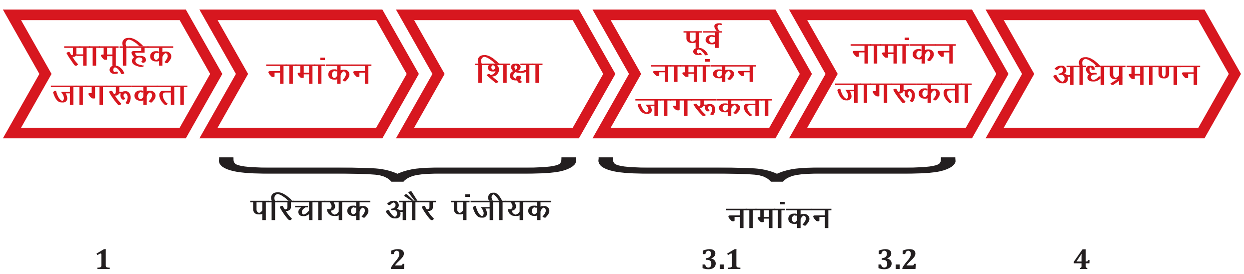

आधार की संचार प्रक्रिया में चरण

यूआईडीएआई की समग्र संचार और प्रचार कार्यनीति में उपरोक्तानुसार अनेक चरण हैं। इनमें से प्रत्येक स्तर के अलग अलग उद्देश्य है। नामांकन एजेंसी, नामांकन प्रक्रिया के चरण में संचार और प्रचार के लिए जिम्मेदार होगी।

चरण 1 : सामूहिक जागरूकता

उद्देश्य : सभी निवासियों पर लक्षित सामूहिक जागरूकता के पारंपरिक चैनलों का उपयोग करना।

योजना : यह गतिविधि नामांकन के वास्तविक रूप से आरंभ होने के लगभग 30 दिन पहले शुरू की जा सकती है, जबकि इसकी तिथियां, जिला स्तर के कवरेज की योजना पर निर्भर करते हुए अलग अलग हो सकती हैं। जबकि ऐसे कुछ निश्चित क्षेत्र है जहां सामूहिक जागरूकता की आवश्यकता हो सकती है। कुछ क्षेत्र नीचे दर्शाए गए हैं :

क. नामांकन के लिए अभिज्ञात लक्ष्य बहुत विशिष्ट है और इसमें उस विशेष क्षेत्र की पूरी आबादी शामिल नहीं होती है। साथ ही यदि बचे हुए निवासियों को निकट भविष्य में शामिल नहीं करने की संभावना है तो सामूहिक जागरूकता की आवश्यकता नहीं होगी।

ख. शामिल किया जाने वाला स्थान बहुत छोटा और बिखरा हुआ हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय रेडियो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सीमित जागरूकता अभियान काफी होगा।

चैनल : टीवी, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट और टेलीकॉम (विस्तृत जानकारी अगले अनुभाग में)

भूमिकाएं : यूआईडीएआई द्वारा डीएवीपी तथा अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से सामग्री का विकास और निष्पादन।

चरण 2 : परिचायकों और रजिस्ट्रार पदाधिकारियों के लिए नामांकन और आईईसी

उद्देश्य : परिचायकों, रजिस्ट्रार पदाधिकारियों तथा क्षेत्र के अन्य भरोसेमंद व्यक्तियों का नामांकन और शिक्षा।

योजना : यह गतिविधि नामांकन के 45 दिन पहले शुरू की जानी चाहिए और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

- संबंधित सरकारी अधिकारी की ओर से उन्हें नामांकन और आधार के बारे में शिक्षा देने का आमंत्रण पत्र।
- सूचना का प्रसार, जिसमें लगभग 1 घण्टे का समय लगेगा और इसकी योजना पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ केंद्रीय तालुका स्तर के स्थान में बनाई जा सकती है। रजिस्ट्रार पदाधिकारियों, नामांकन ऑपरेटरों और परिचायकों को एक साथ बैच में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- कोरम सुनिश्चित करने के लिए कई गांवों को एक साथ लाया जा सकता है।

यदि रजिस्ट्रार केवल मौजूदा डेटाबेस के माध्यम से निवासियों का नामांकन करते हैं तो इस चरण पर परिचायक के संचार की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि, प्रभाव डालने वालों की पहचान और प्रतियागिता आवश्यक होगी।

चैनल : आपसी संचार (ऑडियो, वीडियो, प्रशिक्षण, आईवीआरएस) – अगले खण्डों में विस्तृत जानकारी।

भूमिकाएं : यूआईडीएआई के सहयोग से स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रार।

चरण 3.1 : पूर्व नामांकन जागरूकता

उद्देश्य : पूर्व नामांकन और नामांकन के दौरान जागरूकता बहुत अधिक प्रभावी होगी। इस चरण पर सुनिश्चित किया जाएगा कि निवासी कहीं भी, कहीं भी और नामांकन के तरीके के बारे में जानकारी पा सकें।

योजना : यह गतिविधि नामांकन की वास्तविक शुरूआत से लगभग 7 दिन पहले शुरू हो सकती है। इस चरण पर सभी संचार चैनल सबसे अधिक सक्रिय होंगे। अतः अधिकांश मीडिया और गतिविधि की योजना को इस चरण के लिए तैयार करने की जरूरत होगी। इन चैनलों में बाहरी मीडिया जैसे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार पर तस्वीर, स्टॉल, गीत और नाटक आदि शामिल होंगे (विस्तृत जानकारी अगले खण्ड में)।

भूमिकाएं : रजिस्ट्रार को स्थानीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों से पहले से यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी अनिवार्य अनुमतियां और मूल संरचना स्थानीय / जिला स्तर के अभियान के लिए उपलब्ध हैं।

चरण 3.2 : नामांकन जागरूकता

उद्देश्य : ये गतिविधियां प्राथमिक रूप से नामांकन के दिन ही नामांकन केंद्र पर केंद्रित होंगी।

योजना : चैनलों में बैनर, पोस्टर, पर्चे, स्टेंडी, स्टॉल, वैन, वीडियो आदि जैसे मीडिया शामिल होंगे। (विस्तृत जानकारी अगले खण्ड में)।

भूमिकाएं : स्थानीय डीएवीपी, डीएफपी (क्षेत्रीय प्रचार विभाग), गीत और नाटक प्रभाग तथा अन्य संगत एजेंसियों के साथ रजिस्ट्रार।

चरण 4 : आधार का अनुप्रयोग

यह नामांकन के बाद का चरण है, जब उपभोक्ता वास्तव में आधार का उपयोग शुरू करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले सभी लाभों का अनुभव करते है। यहां प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अभिप्रमाणन के लिए आधार का उपयोग कैसे करते हैं और उनके पास इसका अच्छा अनुभव है।

जागरूकता कैसे फैलाएं?

जागरूकता फैलाने के लिए अनेक संचार चैनलों का उपयोग आवश्यक है। इसकी कुछ विधियां इस प्रकार हैं :

- क. प्रसारण : पारंपरिक और नया सामूहिक मीडिया
- ख. सूचना : प्रसारण माध्यम के अंदर और बाहर सूचना के स्रोत
- ग. बाहरी प्रचार : सभी बाहरी प्रचार स्थलों पर स्थानीय गतिविधियां
- घ. मनोरंजन : फिल्में, थिएटर, गीत और अन्य संगत मनोरंजन के तरीके
- ङ. आपसी संचार : एक के साथ एक या सामूहिक चर्चा
- च. यूआईडीएआई मूल संरचना : पंजीयक और नामांकन एजेंसी मूल संरचना

संक्षेपाक्षर / परिवर्णी

बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीआईडीआर	केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रहालय
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओए	पते के प्रमाण
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
नरेगा	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण